केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु0)
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली–110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi-110016.
Tel.: 26965168 Fax 26514179
Website: www.kvsangathan.nic.in

फा.सं.1103331/07/2012/केविसं(मु.)/विशेष छूट प्रवेश/रक्षा सेवाएं दिनांकः

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केंद्रीय विद्यालयों में विशेष छूट प्रवेश की नई योजना

केंद्रीय विद्यालय संगठन के अधिशासी मंडल की दिनांक 12 जुलाई, 2012 को आयोजित 93वीं बैठक में किए गए अनुमोदन के परिणामस्वरूप सशस्त्र बलों अर्थात थल सेना, वायु सेना व नौसेना के शिक्षा निदेशालयों के लिए केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश की संस्तुति के लिए विशेष छूट योजना निम्नलिखित तथ्यों के साथ तुरंत प्रभाव से प्रचलन में आ गई है:

I) प्रत्येक सशस्त्र बल शिक्षा निदेशालय अर्थात सेना, वायुसेना व नौसेना एक शिक्षा सत्र में 02 नामों की सिफारिश कर सकता है। सशस्त्र बल शिक्षा निदेशालय अर्थात थल सेना, वायुसेना व नौसेना केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए पात्र रक्षा कार्मिकों के 2 बच्चों के नाम की संस्तुति रक्षा क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए कर सकते हैं।

II) यह प्रवेश कक्षा की निर्धारित संख्या से ऊपर होगें।

III) इन प्रवेशों की सिफारिश पूर्व प्राथमिक, कक्षा 10 एवं कक्षा 12 के अलावा सभी कक्षाओं के लिए की जा सकती है।

IV) प्रवेश शिक्षा सत्र के प्रारंभ में किये जाएगें एवं निर्धारित प्रवेश तिथि अर्थात 31 जुलाई के उपरांत किसी भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

V) यह संस्तुति केविसं(मुख्या.) द्वारा प्रत्येक सशस्त्र बल शिक्षा निदेशालय अर्थात सेना, वायुसेना व नौसेना को उपलब्ध करवाए गए निर्धारित प्रारूप में की जाने पर ही मान्य मानी जाएगी। किसी अन्य प्रारूप/तरीके से भेजी गई संस्तुति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

VI) सशस्त्र बल शिक्षा निदेशालय अर्थात सेना, वायुसेना व नौसेना द्वारा संस्तुत किए गए बच्चों का केंद्रीय विद्यालय संगठन प्रवेश मार्गदर्शिका के अनुसार प्रवेश के लिए पात्र होना आवश्यक है।

(अविनाश दीक्षित)
आयुक्त

वितरण:-

1) संयुक्त सचिव(यूटी-2), मासंवि मंत्रालय, नई दिल्ली।
2) सभी उपायुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय व जीट को इन निर्देशों के साथ कि इस ज्ञापन का अधीनस्थ केंद्रीय विद्यालयों में प्रचार-प्रसार किया जाए।
3) सभी अधिकारीगण, केविसं(मुख्या.) नई दिल्ली।
4) गार्ड फाइल

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीतसिंह मार्ग,
18, INSTITUTIONAL AREA, SHAHEED JEET SINGH MARG
नई दिल्ली–110016./ NEW DELHI- 110016
दूरभाष/TEL 26858570, फैक्स/FAX-26514179

1963 2013
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

एफ–110331/07/2013/केविसं (मु0)/वि.छू./स0ब0

दिनांक: 20 जनवरी, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केन्द्रीय विद्यालयों में विशेष छूट प्रवेश की योजना।

केविसं के अधिशासी मण्डल की 26 जुलाई, 2013 को सम्पन्न 95वीं बैठक में किए गए अनुमोदन के परिणामस्वरूप सशस्त्र बलों, अर्थात थलसेना, वायुसेना एवं नौसेना के शिक्षा निदेशालयों के लिए केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश से संबंधित विशेष छूट योजना, जो कि इस कार्यालय के दिनांक 13 अगस्त, 2012 के का0 ज्ञा0 सं0 110331/07/2012/केविसं (मु0)/वि.छू.प्र0/सशस्त्र बल (संदर्भार्थ प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा लागू की गई थी, के अंतर्गत संस्तुत किए जाने वाले रक्षा कर्मियों के बच्चों की संख्या आगामी शिक्षा सत्र (2014–15)से 02 से बढाकर 06 कर दी गई है।

अविनाश दीक्षित 25/1/14

(अविनाश दीक्षित)
आयुक्त

वितरण:

1. संयुक्त सचिव (यूटी:2), मा0सं0वि0मं0, नई दिल्ली
2. सशस्त्र बलों, अर्थात थलसेना, वायुसेना एवं नौसेना के शिक्षा निदेशालय
3. उपायुक्त, के0वि0सं0, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय एवं जीट को इन निर्देशों के साथ कि इस का0 ज्ञा0 को अपने अधीनस्थ सभी केन्द्रीय विद्यालयों में परिचालित करने का कष्ट करें।
4. विशेष कार्य अधिकारी (रक्षा), के0वि0सं0(मु0)
5. सहायक आयुक्त (ईडीपी), के0वि0सं0(मु0), को केविसं की वेबसाइट पर लोड करने हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी, प्रशासन 2, के0वि0सं0(मु0)
7. गार्ड फाइल

केन्द्रीय विद्यालय संगठन / Kendriya Vidyalaya Sangathan
18 , संस्थागत क्षेत्र / 18 Institutional Area,
शहीद जीत सिंह मार्ग / Shaheed Jeet Singh Marg
नई दिल्ली – 110 016 / New Delhi – 110016
दूरभाष / Tel: 26965168, Fax No. 26514179
Website : www.kvsangathan.nic.in

F. 110331/07/2012/KVSHQ/Sp. Disp. Adm./Armed Forces Dated: 13-08-2012

OFFICE MEMORANDUM

Subject: New Scheme for Special Dispensation Admission in Kendriya Vidyalayas.

Consequent upon the approval of the Board of Governors of KVS in the 93rd meeting held on 12th July 2012, the **Scheme of Special Dispensation Admission** for **Directorate of Education of Armed Forces i.e. Army, Air Force and Navy** for recommending names for admission in Kendriya Vidyalayas comes into vogue with immediate effect with the following features:

i) Each Directorate of Education of Armed Forces i.e. Army, Air Force and Navy can refer 02 cases for admission in an academic year. The Directorate of Education of Armed Forces i.e. Army, Air Force and Navy can recommend 02 names for admission of wards of Defence Personnels who are otherwise eligible for admission, in Kendriya Vidyalayas located in Defence Sector.

ii) These admissions shall be over and above the class strength

iii) The recommendations would be made for all classes except pre-primary and classes X and XII.

iv) The admissions would be made at the beginning of the academic year and no admission would be allowed after the prescribed cut off date (i.e. 31st July) of the year.

v) **The recommendations to be made shall be valid only if these are made in the prescribed format provided to each Directorate of Education of Armed Forces i.e. Army, Air Force and Navy by KVS(HQ). Recommendations sent in any other format/manner shall not be considered.**

vi) The children recommended by Directorate of Education of Armed Forces i.e. Army, Air Force and Navy must be otherwise eligible for admission as per the extent KVS Admission Guidelines.

(Avinash Dikshit)
Commissioner

Distribution:

1. JS(UT.2), Ministry of HRD, New Delhi.
2. All Deputy Commissioners, KVS, Regional Offices & ZIETs with the direction to disseminate this O.M. to the Kendriya Vidyalayas under your jurisdiction.
3. All Officers of KVS(Hqrs), New Delhi.
4. Guard File.

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीतसिंह मार्ग,
नई दिल्ली–110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, INSTITUTIONAL AREA,
NEW DELHI- 110016

F.No. 110331/07/2013-KVS(Hq.)/Sp.Disp.Adm./Armed Forces Dated: 20.01.2014

OFFICE MEMORANDUM

Subject: **Scheme of Special Dispensation Admission in Kendriya Vidyalayas**

Consequent upon the approval of the Board of Governors of KVS in the 95th Meeting held on 26th July 2013, the number of wards of Defence personnel in Kendriya Vidyalayas located in Defence Sector to be recommended by the Directorate of Education of Armed Forces, i.e. Army, Air Force and Navy under the **New Scheme of Special Dispensation Admission** for Directorate of Education of Armed Forces, i.e. Army, Air Force and Navy that came into vogue vide the OM F.No. 110331/07/2012-KVS(Hq.)/Sp.Disp.Adm./Armed Forces dt. 13.08.2012 (copy enclosed for ready reference) has been raised from 02 to 06 with effect from the next academic session, i.e. 2014-15.

24/1/14
(Avinash Dikshit)
Commissioner

Distribution:

1. JS(UT-2), Ministry of HRD, New Delhi
2. Directorate of Education of Armed Forces, i.e. Army, Air Force and Navy
3. Deputy Commissioner, KVS, All Regions & ZIETs with the direction to disseminate this OM to all KVs under their jurisdiction.
4. OSD (Defence), KVS(Hq)
5. The Asstt. Commissioner(EDP), KVS(HQ), for uploading the same in KVS website.
6. Guard File